भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2099
01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएचएम के तहत निःशुल्क दवा और नैदानिक सेवा पहल

†2099. श्री जी. सेल्वमः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः
श्री नवसकनी के.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत पूरे देश में निःशुल्क औषधि सेवा पहल और निःशुल्क नैदानिक सेवा पहल का क्रियान्वयन कर रही है और यदि हाँ, तो तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पहलों के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क प्रदान की जाने वाली आवश्यक औषधियों और नैदानिक परीक्षणों की संख्या कितनी है;

(ग) तमिलनाडु राज्य ने उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), उप-जिला अस्पतालों (एसडीएच) और जिला अस्पतालों में इन पहलों को कितना क्रियान्वित किया है;

(घ) क्या केंद्र सरकार के पास तमिलनाडु में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक औषधियों की निर्बाध उपलब्धता और नैदानिक सेवाओं का समय पर परिदान सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र मौजूद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क औषधियों और नैदानिक सेवाओं के कवरेज को बढ़ाकर तमिलनाडु में मरीजों द्वारा स्वयं किए जाने वाले खर्च को और कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): एनएचएम के अंतर्गत, तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन क्षेत्र के भीतर, उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निःशुल्क अनिवार्य दवाओं और निःशुल्क आवश्यक निदान सेवाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निःशुल्क औषधि सेवा पहल के अंतर्गत, मंत्रालय ने अनिवार्य दवाओं की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु सहित देश भर की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सुविधा-वार अनिवार्य औषधि सूची (ईडीएल) उपलब्ध कराने की सिफारिश की है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 'निःशुल्क निदान सेवा पहल' (एफडीएसआई) कार्यक्रम को सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत समुदाय के निकट सुलभ और किफायती, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल निदान सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी ताकि जेबी खर्च (ओओपीआई) में कमी आए। तमिलनाडु सहित देश भर में इन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में अनुशंसित दवाओं और नैदानिक सेवाओं की संख्या निम्नानुसार है। हालाँकि, राज्यों के पास इनकी संख्याएँ बढ़ाने की छूट है।

क्र.सं.	सुविधा केंद्र का नाम	अनिवार्य दवाओं की संख्या	नैदानिक सेवाओं की संख्या
1	जिला अस्पताल (डीएच)	381	134
2	उप-जिला अस्पताल (एसडीएच)	318	111
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)	300	97
4	आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)	172	63
5	एएएम - उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी)	106	14

तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच और डीएचक्यू स्तर पर कुल 482 अनिवार्य औषधियां और डीएच तथा विशिष्ट स्तर पर 484 विशेष औषधियां प्रदान की जाती हैं। तमिलनाडु के डीएच में कुल 134, एसडीएच में 111, सीएचसी में 97, पीएचसी में 63 और उप-स्वास्थ्य केंद्रों में 14 परीक्षण किए जाते हैं।

मंत्रालय ने अधिप्रापण, आपूर्ति श्रृंखला और स्टॉक प्रबंधन में कमियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए एक बहुस्तरीय निगरानी दृष्टिकोण अपनाया है। कई राज्यों ने औषधियों के अधिप्रापण, उपभोग और पुनःपूर्ति को ट्रैक करने के लिए औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीवीडीएमएस) जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अपनाए हैं। ओपन डेटा किट (ओडीके) टूल, जिसमें अनिवार्य औषधियों के साथ-साथ नैदानिक सेवाओं की उपलब्धता भी शामिल है, के माध्यम से राज्यों द्वारा स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के विभिन्न मापदंडों का आकलन किया जाता है। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरों से भी इन सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग की निगरानी की जाती है।
